राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.10 (677) परि/पी.डी./2012/ 6231 जयपुर, दिनांकः– 2/3/16

कार्यालय आदेश...8....../2016

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) द्वारा दुपहिया वाहन निर्माता से यह अपेक्षा की गई है कि वह वाहन के प्रथम विक्रय के समय केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 129 एवं तत्सगत् राज्य नियमों में शिथिलन प्राप्त व्यक्तियो के अतिरिक्त समस्त (चालक एवं पीछे बैठने वाली सवारी) को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का सुरक्षात्मक टोप उपलब्ध करवाये, किन्तु यह संज्ञान में लाया गया है कि वाहन निर्माताओं द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नही की जा रही है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त गंभीर दोष की श्रेणी में आता है।

राज्य में राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.28 द्वारा समस्त राज्य में दुपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठने वाली सवारी दोनों हेतु ही हेलमेट धारण करना अनिवार्य किया गया है, अर्थात् राज्य में पगड़ी धारण किए हुए सिक्ख चालकों के अतिरिक्त हेलमेट धारण करने से शिथिलन प्राप्त नहीं है।

इस स्थिति में वाहन निर्माता के स्तर पर यह अपेक्षित है कि वह वाहन के प्रथम विक्रय के समय चालक एवं पीछे बैठने वाली सवारी हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का सुरक्षात्मक टोप उपलब्ध करवाये। अर्थात् वाहन विक्रेता वाहन के विक्रय के समय वाहन के साथ ये सुरक्षात्मक टोप वाहन क्रेता को बिना विक्रय मूल्य (Free of cost) उपलब्ध करवाये।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्यरत समस्त वाहन विक्रेताओं (डीलर्स/ट्रेडधारक) के स्तर पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) की पालना सुनिश्चित की जावें एवं उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करनें वाले वाहन विक्रेताओं (डीलर्स/ट्रेडधारक) के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही की जावें।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांकः प.10 (677) परि/पी.डी./2012/ 6232-36 जयपुर, दिनांकः- 29/3/16

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
3. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)